न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –112A/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
जेताराम पुत्र रेडाराम जाति विश्नोई निवासी भेड तहसील खींवसर जिला नागौर (राजस्थान)		1. मलाराम पुत्र बंशीराम जाति ब्राहमण निवासी नन्दवाणी तहसील खींवसर जिला नागौर (राजस्थान) 2. बाबूराम पुत्र रेडाराम जाति विश्नोई 3. मोतीराम पुत्र रेडाराम जाति विश्नोई 4. बभूताराम पुत्र रेडाराम जाति विश्नोई 5. ज्यानी पत्नि रेडाराम जाति विश्नोई 6. मीरा पत्नि अन्नाराम जाति विश्नोई 7. कालूराम पुत्र अन्नाराम जाति विश्नोई 8. मामराज पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासीगण भेड तहसील खींवसर जिला नागौर (राजस्थान) 9. तहसीलदार खींवसर जिला नागौर (राजस्थान)

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री बाबूलाल खोजा।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की और से वकील श्री सोहनलाल लटियाल एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय

दिनांक 29-8-2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत तहसीलदार खींवसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2017 मल्लाराम बनाम बाबूराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.10.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 ने सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय समस्या समाधान शिविर भेड में आम रास्ता जो खसरा नम्बर 340, 338, 1075/274 में सें स्वीकृत हुआ जिस रास्ता को खातेदारों ने बंद कर दिया गया जिस रास्ते को निजी सुखाचार का बताते हुए खुलवाने का निवेदन किया गया उक्त खसरा नम्बर में

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

सें खसरा नम्बर 1812/340 व 1810/338 गैर मुमकिन रास्ता मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र दर्ज किया गया उक्त प्रकरण की तारीख पेशी दिनांक 18.09.2017 को मुकर्रर कर अप्रार्थीगण को तलब करने का आदेश पारित किया गया तत्पश्चात् दिनांक 18.09.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण की तलबी पर्याप्त मानते हुए अप्रार्थीगण/अपीलांट को बिना सुने बिना कोई सूचना दिये ही रास्ता खुलवाने का एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों व विधि के प्रावधानों के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 की तामिल मानने में कानूनी रूप से भारी भूल की गई है जबकि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी किया गया कोई नोटिस अपीलांट व अन्य खातेदारों के पास नहीं आया था और न ही कोई तामिल कुनिन्दा आया था लेकिन तामिल कुनिन्दा, आवेदनकर्ता मलाराम के प्रभाव व लोभ लालच में आकर नोटिस में लेने से इन्कार करने की रिपोर्ट बिल्कुल ही झुठी व मिथ्या अंकित की गई जबकि अपीलांट व अन्य खातेदार के पास कोई नोटिस व तामिल कुनिन्दा आया ही नही था तो ऐसी स्थिति में इन्कार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मिथ्या व झुठी रिपोर्ट पर तामिल पर्याप्त होना मानने में कानूनी रूप से भारी भूल की गई है ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 के नोटिस पर इन्कार करने का रिपोर्ट पर अंकन किया हुआ है लेकिन लेने से इन्कार अप्रार्थी ने किया या उनके परिवार वालों ने किया या किसी ग्रामीण व्यक्ति ने किया इसके संबंध में कोई अंकन किया हुआ नहीं है। मात्र लेने से इन्कार करने का व हस्ताक्षर कोई आदमी नहीं करने का अंकन किया हुआ है जिस नोटिस को तामिल कुनिन्दा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र औपचारिकता पूर्ण करने के उद्देश्य से इन्कारी रिपोर्ट पर आवेदन कर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक का हस्ताक्षर करवाया गया है। जबकि विधिवत व पर्याप्त तामिल के लिए दो स्वतंत्र मौतबिर होना आवश्यक होता है इस प्रकरण में तो मात्र एक दुसरे गांव के व्यक्ति का हस्ताक्षर करवाया गया है जो आवेदन कर्ता स्वंय है जो इस प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति है इसलिए अपीलांट व अन्य खातेदारों की तामिल विधिवत रूप से नहीं हुई थी ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्ट खातेदारों को सुनवाई का हक व अधिकारों से वंचित रखने के उद्देश्य से गलत रूप से तामिल को मानकर विधि के प्रावधानों के खिलाफ जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

विवादित रास्ते के आदेश के खिलाफ अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है जो अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपील विचाराधीन होते हुए भी जैर अपील आदेश पारित किया गया है जबकि दौराने अपील दौराने दावा अधीनस्थ न्यायालय को नया आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य ग्रामीणों के प्रभाव में व लोभ लालच में आकर विधि के प्रावधानों के खिलाफ जाकर नोटिस को गलत रूप से तामिल मानकर जैर अपील आदेश पारित करने में

Scanned by CamScanner

कानूनी रूप से बडी भारी भूल की है जिससे जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अंकित किया है कि विकल्प में रास्ता नहीं है जबकि विवादित रास्ता मौके पर कभी नहीं था और न ही उक्त रास्ते की किसी को आवश्यकता है मौके पर बिना कोई रास्ता होते हुए भी अपीलांट व अन्य खातेदारों के बाले बाले ही खातेदारी की भूमि में सें गलत रूप से रास्ता दर्ज किया गया है जबकि मौके पर कभी रास्ता नहीं था। रास्ता अन्य जगह से आज भी मौजूदा है। उक्त रास्ता गैर कानूनी रूप से दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था जिस आदेश के खिलाफ अपील विचाराधीन है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने व बिना कोई सूचना दिये ही एक पक्षीय आदेश पारित करने में कानूनी रूप से बडी भारी भूल की है जिससे जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावे विकल्प में जैर अपील आदेश निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि पक्षकारों की विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर देकर सुनवाई कर नये सिरे से आदेश पारित करने का आदेश प्रदान करावें।

वकील श्री सोहनलाल लटियाल ने रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा वादग्रस्त भूमि में रास्ते के संबंध में तहसीलदार को दिनांक 16.02.2017 को आदेश दिया गया था, जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट बाबूराम द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध स्थगन लिया एवं उक्त स्थगन आदेश की आड़ में कदीमी से चल रहे रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर बंध कर दिया जबकि उक्त रास्ता कदीमी से ही विधार्थियों, किसानों एवं राहगीरों के आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा था। तत्पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने अपने आदेश दिनांक 13.09.2017 से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 20.04.2017 को निरस्त कर दिये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो विधि अनुसार सही होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने रेस्पोडेन्ट संख्या–9 की ओर से बहस में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मलाराम व अन्य व्यक्तियों द्वारा ग्राम भेड़ के खसरा नम्बर 340, 338 एवं 1075/274 में से जम्भेश्वर मंदिर से रा0प्रा0वि0 राईको की ढ़ाणी नन्दवाणी तक चिन्हित किया गया था, जिसके विरूद्ध खातेदारों द्वारा स्थगन आदेश लिया गया था। उक्त स्थगन आदेश राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया है। यह रास्ता किसानों, विद्यार्थियों आदि के आवागमन हेतु काम में आना अवगत कराते हुऐ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त रास्ता खुलवाले हेतु तहसीलदार खींवसर से निवेदन किया गया।

तहसीलदार खींवसर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का भेड़ से जॉच करवाई गई। पटवारी हल्का भेड़ की जॉच रिपोर्ट दिनांक 14.09.2017 अनुसार ग्राम भेड़ के खसरा नम्बर 340 नया खसरा नम्बर 1812/340 रकबा 2–05 बीघा, खसरा नम्बर 338 नया खसरा

Scanned by CamScanner

नम्बर 1810/338 रकबा 0–15 बीघा एवं 1075/274 नया खसरा नम्बर 1814/274 रकबा 0–19 बीघा गै.मु. रास्ता प.दी.उ. शिविर भेड़ मे स्वीकृत होना बताया गया है। खसरा नम्बर 1812/340 व 1810/338 में मौके पर रास्ता संबंधित खातेदारों द्वारा बंद किया हुआ होना बताया।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर की पत्रावली पर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के प्रकरण संख्या 85/2017 बाबूराम बनाम सरकार की आदेशिका दिनांक 20.4.2017 की प्रमाणित प्रति के अनुसार उक्त अपील बाबुराम द्वारा उपखण्ड अधिकारी खींवसर के आदेश कमांक/प.शिविर/2017/1127 दिनांक 16.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जिसमें रेस्पोडेन्ट को मौजा भेड़ के खसरा नम्बर 340 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 338 रकबा 15 बीघा एवं खसरा नम्बर 1075/274 रकबा 20 बीघा की आगामी आदेश तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये, तत्पश्चात पेशी 13.09.2017 को दिनांक 20.04.2017 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नोटिसेज के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किये गये परन्तु नोटिसेज पर लेने से इंकार, चस्पा नहीं करने दिया आदि कि रिपोर्ट अंकित है, जो उचित प्रतीत होती है। इस प्रकार समग्र विवेचन अनुसार हस्तगत प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner